Indian Journal of Modern Researchand Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Paper

महिलाओं की न्याय तक पहुंचः भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की भूमिका

कुसुम लता शर्मा [1*], डॉ. सुशीम शुक्ला [2]

[1] रिसर्च स्कॉलर, तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश., भारत

[2] एसोसिएट प्रोफेसर, तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश., भारत

Corresponding Author: *कुसुम लता शर्मा

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17694866

सारांश

भारत में महिलाओं के लिए न्याय तक पहुँच सामाजिक-आर्थिक बाधाओं, कानूनी जटिलताओं और लिंग-आधारित भेदभाव के कारण अक्सर बाधित हो जाती है। प्रस्तुत शोध-पत्र भारत में महिलाओं की न्याय तक पहुँच से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करता है तथा नारी अदालतों, महिला न्यायालयों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्रों की भूमिका को रेखांकित करता है, जो समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया को सुलभ और प्रभावी बनाते हैं। यह शोध-पत्र गैर-प्रतिकूल एवं सहभागी दृष्टिकोण से विवादों के समाधान में नारी अदालतों के महत्व, लैंगिक न्याय पर उनके प्रभाव, तथा इनके समक्ष उपस्थित संरचनात्मक एवं प्रणालीगत चुनौतियों का अध्ययन करता है। यह अध्ययन भारत के विभिन्न राज्यों में संचालित नारी अदालतों की नीतियों, केस-स्टडी और नवीनतम आँकड़ों की व्यापक समीक्षा पर आधारित है। शोध में यह भी इंगित किया गया है कि महिला-न्याय सुनिश्चित करने हेतु ADR तंत्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए संस्थागत मान्यता, कानूनी संरक्षण तथा पर्याप्त संसाधन-आवंटन की आवश्यकता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

Manuscript Info.

- **ISSN No:** 2584- 184X
- **Received:** 15-10-2025
- **Accepted:** 15-11-2025
- **Published:** 24-11-2025
- **MRR:3(11):** 2025;37-40
- **©2025, All Rights Reserved.**
- **Peer Review Process:** Yes
- **Plagiarism Checked:** Yes

How To Cite this Article

कुसुम लता शर्मा, सुशीम शुक्ला। महिलाओं की न्याय तक पहुँच: भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की भूमिका। Indian Journal of Modern Research and Review. 2025;3(11):37-40।

मुख्य शब्द: वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR), नारी अदालतें, महिलाओं की न्याय तक पहुँच, लैंगिक न्याय, मध्यस्थता, सुलह प्रक्रिया, घरेलू हिंसा, दहेज-संबंधी विवाद, महिला अधिकार, समुदाय-आधारित विवाद समाधान तंत्र।

© 2025 कुसुम लता शर्मा, डॉ. सुशीम शुक्ला.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्रस्तावना

भारत ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति की है, फिर भी न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया में अनेक महिलाओं को आज भी गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं में सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, कानूनी साक्षरता का अभाव, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाएँ और औपचारिक न्यायपालिका की जटिल एवं समयसाध्य प्रक्रियाएँ प्रमुख हैं। यद्यपि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005[1] *और* दहेज निषेध अधिनियम, 1961[2] जैसे कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु मौजूद हैं, किन्तु विशेष रूप से ग्रामीण एवं हाशिए पर स्थित समुदायों में इन कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। लैंगिक हिंसा, कार्यस्थल पर भेदभाव, संपत्ति तक समान पहुंच का अभाव तथा पारिवारिक विवाद जैसी परिस्थितियाँ महिलाओं की स्थिति को और जटिल बनाती हैं, जिससे उन्हें अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से दावा करने में कठिनाई होती है। औपचारिक अदालतों की कार्यवाही अक्सर जटिल, समय लेने वाली तथा आर्थिक रूप से बोझिल होती है, जिससे अनेक महिलाएँ न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने से हतोत्साहित होती हैं। कानूनी लड़ाइयों से जुड़े सामाजिक कलंक—विशेष रूप से घरेलू हिंसा और दहेज-सम्बंधी मामलों में—उन्हें न्यायपालिका तक पहुँचने से और अधिक रोकता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या न्याय में देरी का कारण बनती है, जिससे न्याय अंततः अप्रभावी प्रतीत होता है। इन्हीं सीमाओं के कारण वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह औपचारिक अदालतों की तुलना में अधिक त्वरित, सरल और कम प्रतिकूल समाधान प्रदान करता है। प्रतिकूल अदालती कार्यवाहियों के विपरीत, नारी अदालतें सुलह, संवाद और आपसी समझौतों पर बल देती हैं तथा यह सुनिश्चित करती हैं कि समाधान प्रक्रिया में महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा बरकरार रहे। नारी अदालतों की सफलता भारत के विभिन्न राज्यों में स्पष्ट रूप से दर्ज की गई है, जहाँ उन्होंने घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद, वैवाहिक कलह और कार्यस्थल उत्पीड़न जैसे मामलों का प्रभावी समाधान किया है। उनका प्रभाव विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण है, जहाँ कानूनी ढांचा अपेक्षाकृत कमजोर होता है और अनेक महिलाओं में विधिक एजेंसियों से संपर्क करने का आत्मविश्वास भी कम होता है। हालांकि, महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद नारी अदालतों को संसाधन-संकट, संस्थागत समर्थन की कमी तथा सामाजिक रूढ़िवाद जैसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में महिलाओं की न्याय तक पहुँच के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में ADR तंत्र को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को उजागर करना है।

वैकल्पिक विवाद समाधान और नारी अदालत का ऐतिहासिक विकास

भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की अवधारणा पारंपरिक पंचायतों तथा अनौपचारिक सामुदायिक न्याय प्रणालियों से अभिन्न रूप से जुड़ी है। किंतु, इन पारंपरिक ढाँचों में लैंगिक संवेदनशीलता का पर्याप्त अभाव होने के कारण महिलाओं को न्याय प्राप्ति के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और अनौपचारिक मंच उपलब्ध नहीं था। इसी आवश्यकता ने नारी अदालतों के उद्भव को जन्म दिया।

नारी अदालत की औपचारिक शुरुआत 1990 के दशक में गुजरात में महिला समाख्या कार्यक्रम के सहयोग से हुई—जो महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रगतिशील सरकारी पहल थी। अग्रवाल (2014)[3] के अनुसार, नारी अदालतों की स्थापना ने महिलाओं को सामाजिक प्रतिकूलताओं और दबावों के भय से मुक्त होकर न्याय मांगने का एक संरचित परंतु सरल और सहभागी मंच प्रदान किया। देसाई (2019)[4] और अन्य अध्ययनों में भी यह रेखांकित किया गया है कि महिलाओं द्वारा संचालित ये अदालतें घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, संपत्ति विवादों और पारिवारिक कलह से जुड़े मामलों के समाधान में उल्लेखनीय रूप से सहायक रही हैं।

विवादों के समाधान में नारी अदालत की प्रभावशीलता

अनुभवजन्य अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से विवादों को सुलझाने में नारी अदालतों की सफलता दर अत्यधिक उच्च है। राजन और मेनन (2020)[5] द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नारी अदालतों द्वारा निपटाए गए लगभग 65% मामलों का समाधान बिना किसी औपचारिक कानूनी हस्तक्षेप के सफलतापूर्वक कर लिया गया। इसी प्रकार, राष्ट्रीय महिला आयोग (2021)[6] की रिपोर्ट इंगित करती है कि महिलाएँ नारी अदालतों के *गैर-प्रतिकूल* दृष्टिकोण और *समुदाय-आधारित मध्यस्थता* के कारण अधिक सहज और सुरक्षित महसूस करती हैं।

नारी अदालतों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

अपनी प्रभावशीलता के बावजूद नारी अदालतों को कई संरचनात्मक एवं विधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी संपूर्ण क्षमता को सीमित करती हैं। प्रमुख बाधाएँ इस प्रकार हैं:

1. कानूनी मान्यता का अभाव

देसाई (2019) और पटेल (2022)[7] के अध्ययन बताते हैं कि नारी अदालतों को विधिक ढाँचे में पूर्ण वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। इसी कारण इनके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, जिसके परिणामस्वरूप कई बार समाधान की स्थायित्व क्षमता प्रभावित होती है।

तुलनात्मक अध्ययन: नारी अदालत बनाम औपचारिक न्यायपालिका

नारी अदालतें विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित विवादों—विशेषकर वैवाहिक कलह—को शीघ्रता और संवेदनशीलता के साथ सुलझाने के लिए स्थापित की गई हैं। मेहता (2017)[8] द्वारा किए गए तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि: औपचारिक अदालतें घरेलू हिंसा जैसे मामलों को निपटाने में औसतन 2–5 वर्ष का समय लेती हैं। जबकि नारी अदालतें समान प्रकार के मामलों को 3–6 महीनों के भीतर सुलझाने में सक्षम होती हैं। यह तुलनात्मक दक्षता नारी अदालतों को महिलाओं के लिए अधिक सुलभ, त्वरित और सहानुभूतिपूर्ण विकल्प बनाती है।

भारत में नारी अदालतों के संचालन के आँकड़े

देश के विभिन्न राज्यों में नारी अदालतों की पहुँच और कार्यकुशलता उल्लेखनीय है:

© 2025 कुसुम लता शर्मा, डॉ. सुशीम शुक्ला.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

गुजरात
- लगभग **400 से अधिक** नारी अदालतें सक्रिय।
- समाधान दर: **75%**।
- विशेष उपलब्धि: घरेलू हिंसा से पीड़ित एक महिला के मामले में नारी अदालत ने हस्तक्षेप कर न केवल वित्तीय सहायता सुनिश्चित की, बल्कि स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से कानूनी सुरक्षा आदेश भी दिलवाया।

महाराष्ट्र
- **250+ सक्रिय** नारी अदालतें।
- **60% से अधिक** मामलों का निपटारा **छह महीने** के भीतर।

उत्तर प्रदेश
- प्रतिवर्ष **500+ मामले**—अधिकांश घरेलू हिंसा एवं दहेज विवाद।
- संसाधनों की कमी कार्यकुशलता को सीमित करती है।
- वाराणसी में एक महिला को गुज़ारा भत्ता एवं बच्चे की कस्टडी दिलवाने में महत्वपूर्ण सहायता मिली।

तमिलनाडु
- महिला कल्याण कार्यक्रमों के साथ एकीकरण।
- वैवाहिक विवादों में सक्रिय भूमिका, अलग हुई महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित।

केरल
- उच्च कानूनी साक्षरता के कारण ADR परिणाम उत्कृष्ट।
- 85% मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान।
- कार्यस्थल उत्पीड़न के एक मामले में नियोक्ता को दंडित किया गया।

बिहार एवं झारखंड
- समुदाय-आधारित पहलें।
- मुख्य चुनौती: धन की कमी।
- पटना के एक प्रमुख मामले में दहेज-वापसी विवाद में सफल मध्यस्थता।

राजस्थान
- मजबूत जमीनी भागीदारी।
- 70% मामले घरेलू हिंसा व दहेज विवादों से जुड़े।
- जयपुर में एक महिला को वैवाहिक घर से निकाले जाने पर तत्काल समाधान उपलब्ध।

महिला न्याय पर नारी अदालतों का प्रभाव

नारी अदालतों ने महिलाओं की न्याय तक पहुँच को व्यापक रूप से सशक्त किया है। ये तंत्र महिलाओं को **गैर-विरोधात्मक, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील, सुलभ और किफ़ायती** विवाद समाधान का विकल्प प्रदान करते हैं।

1. घरेलू हिंसा के मामले
- कुल मामलों में से लगभग **60% मामले** घरेलू हिंसा संबंधी।
- **40% मामलों में** मध्यस्थता के माध्यम से सुलह।
- **20% मामले** आगे औपचारिक कानूनी कार्यवाही तक पहुँचते हैं।

2. दहेज विवाद
लगभग **30% मामले** दहेज से संबंधित।
50% में सुलह या वस्तुओं की वापसी पर सहमति।

3. संपत्ति एवं उत्तराधिकार अधिकार
- लगभग **15% मामले** संपत्ति विवाद।
- नारी अदालतें पैतृक संपत्ति में उचित विभाजन सुनिश्चित कराने में सहायक।

4. कार्यस्थल उत्पीड़न
- लगभग **10% मामले**, परंतु प्रभाव अत्यधिक।
- नारी अदालतों द्वारा त्वरित हस्तक्षेप से पीड़ितों को राहत और दंडात्मक कार्रवाई संभव।

निष्कर्ष

नारी अदालतें महिलाओं—विशेषकर सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर और लैंगिक भेदभाव से प्रभावित महिलाओं—के लिए न्याय उपलब्ध कराने का एक प्रभावी और आवश्यक साधन बन चुकी हैं। ये अदालतें औपचारिक न्यायिक प्रणाली के विकल्प के रूप में:
लागत-प्रभावी,
समय-कुशल,
सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील, और
समुदाय-आधारित
समाधान प्रदान करती हैं।
हालाँकि, इनके समक्ष विधिक मान्यता, वित्तीय संसाधनों की कमी और पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण जैसी चुनौतियाँ अब भी बाधा उत्पन्न करती हैं। अतः नारी अदालतों की दीर्घकालिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत संस्थागत समर्थन, विधिक मान्यता तथा औपचारिक न्याय-प्रणाली के साथ समन्वित एकीकरण आवश्यक है।

संदर्भ

1. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005.
2. दहेज निषेध अधिनियम, 1961.
3. अग्रवाल, P. *महिलाएँ और न्याय: भारत में ADR पर अध्ययन*, 2014.
4. देसाई, K. लैंगिक न्याय में ADR की भूमिका: चुनौतियाँ और अवसर, *भारतीय विधि समीक्षा, 2019.*
5. राजन, M. & मेनन, A. लिंग और ADR: नारी अदालत की सफलता का विश्लेषण, *2020.*
6. राष्ट्रीय महिला आयोग. भारत में महिला न्याय की स्थिति: नारी अदालत समीक्षा, *2021.*
7. देसाई, K. & पटेल, R. लैंगिक न्याय में ADR की भूमिका, 2019–2022.

© 2025 कुसुम लता शर्मा, डॉ. सुशीम शुक्ला.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

8. मेहता, S. समुदाय आधारित मध्यस्थता की दक्षता: नारी अदालत का केस स्टडी, 2017.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 कुसुम लता शर्मा, डॉ. सुशीम शुक्ला.This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/